न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3512–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर अपील प्रकरण कमांक 268/2013–2014.

1– मोहन पिता लक्ष्मण जाधव
2– विनायक पिता लक्ष्मण जाधव
3– दिनकर पिता तुलसीराम
4– रेखा बाई पति कैलाश जाधव
5– बबन पिता ज्योतिराम जाधव
निवासीगण ग्राम संग्रामपुर
तहसील व जिला बुरहानपुर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रमोद पिता अर्जुन
2– श्रीमती इन्दुरबाई पति अर्जुन
3– गोकुल पिता बाबूराव जाधव
4– लालू पिता सीधा धनगर

.....अनावेदकगण

श्री अजय कुमार जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क. 1, 2 व 4
श्री ओ. पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश 1–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के आदेश दिनांक 6–5–2014 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 268/2013–2014 दर्ज कर कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखी जाना आदेशित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा एक बार स्थगन निरस्त कर दिया गया था, अतः दोबारा स्थगन देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश को रिव्यु नहीं कर सकते हैं । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है, उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 1–10–2014 निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1– आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण की निजी भूमि में से रास्ता लिया गया है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

2– आवेदकगण तहसील न्यायालय में यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि प्रश्नाधीन रास्ता पारंपरिक रास्ता नहीं है, और न ही इसका राजस्व अभिलेखों में कोई उल्लेख है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

3– संहिता की धारा 131 के अंतर्गत नया रास्ता स्थापित नहीं किया जा सकता है ।

4– आवेदक कमांक 1 मोहन द्वारा स्वयं अपने कथनों में स्वीकार किया गया है कि रमेशचंद वाले खेत से 12 फीट रास्ता बैलगाड़ी आदि के लिए छोड़ा गया है, इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1, 2 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाकर पेशी दिनांक 25–2–2014 नियत की गई है, अतः आवेदकगण को अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 1–10–2014 को प्रदान किये गये स्थगन को आगे नहीं बढ़ाये संबंधी तर्क प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, और वे वहां स्थगन आगे नहीं बढ़ाने संबंधी आधार प्रस्तुत कर सकते हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाये कि वे तीन माह में अपील का निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश 1–10–2014 स्थिर रखा जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाता है कि वे तीन माह में अपील का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर